(i)

पत्रांक 10 / न 4–85 / 2012.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

लक्ष्मण कुमार सिंह,
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक ....

विषय : **Shukdeo Singh Senior Secondary School, Newaji Tola, (Katra), Chapra को अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **Shukdeo Singh Senior Secondary School, Newaji Tola, (Katra), Chapra** को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों / कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **डॉ0 आर0 एन0 सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, नेवाजी टोला, कटरा, छपरा** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **02 बीघा 18 कट्ठा (कुल 2.5 एकड़)** भूमि 30 वर्षो के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाऐं बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में **16** शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षको की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है।

P.T.O

RPathak
20/04/2024 Principal
Shukdeo Singh Sr. Sec. School
Newaji Tola (Katra), Saran
Aff. No.-330555, School No.-65549

Rp singh
20/04/2024
Manager
Shukdeo Singh Sr Sec School
Newaji Tola (Katra), Saran

अपेक्षित शर्त्तो के अनुसार :–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछडा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार **Shukdeo Singh Senior Secondary School, Newaji Tola, (Katra), Chapra** को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु इस शर्त्त के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा पन्द्रह दिनों के अन्दर ऑडिट रिपोर्ट एवं शिक्षको के नियुक्ति संबंधी विज्ञापन की प्रति विभाग को उपलब्ध करा देंगे अन्यथा उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक........................ दिनांक..........................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

Rpathak
20/04/2024
Principal
Shukdeo Singh Sr. Sec. School
Newaji Tola (Katra), Saran
Aff. No.-330655, School No.-65540

ज्ञापांक 1524   20/04/2024 दिनांक 14/12/12

Manager
Shukdeo Singh Sr. Sec. School
Newaji Tola (Katra), Saran

प्रतिलिपि : प्राचार्य, **Shukdeo Singh Senior Secondary School, Newaji Tola, (Katra), Chapra** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14-12-12

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

14/12